प्रमुख कार्यों का प्रगति विवरण

वित्तीय वर्ष
२०१८ – २०१९

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०–१२वी०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना	१
२.	प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य	२
३.	नमूने एकत्रित किया जाना एवं उनका परीक्षण	३
४.	उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवम् अधिकारों का प्रतिनिधायन	३
५.	सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति	४
६.	जल उपकर	५
७.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	६
८.	वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही	७
९.	उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण	८
१०.	१७ श्रेणी (वृहद एवम् मध्यम) के उद्योगों की कार्ययोजना	१०
११.	उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के संबंध में आख्या	१२
१२.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, १९९८	१३
१३.	नगरीय ठोस अपशिष्ट	१४
१४	अभियोजनात्मक कार्यवाही	१५
१५.	प्रयोगशाला एवं जल–वायु गुणता का अनुश्रवण	१६
१६.	ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम	१७
१७.	कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की स्थापना	१९
१८.	बोर्ड का आय–व्ययक	२०
१९.	प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन	२०
२०.	प्रदेश के महानगरों की वायु गुणता में सुधार लाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रमुख कार्य	२२
२१.	जल एवम् वायु की गुणता का अध्ययन	२४
२२.	अधिसूचना	२५
२३.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संगठन	२६
२४.	मुख्यालय स्थित वृत्त एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्र विभाजन	२७
२५.	आय–व्ययक विवरण	२९
२६.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की सूची	३०

प्रमुख कार्यों का प्रगति विवरण

२०१८–२०१९

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना :

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा (४) के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ०३ फरवरी, १९७५ को **''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड''** का गठन किया गया। वर्ष १९८१ में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा–५ के प्राविधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। १३ जुलाई, १९८२ से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर **''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड''** विनिर्दिष्ट कर दिया गया (संलग्नक संख्या–१)। राज्य बोर्ड के वित्तीय संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ भी अधिनियमित किया गया जिसके अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी शक्तियाँ भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रत्यायोजित की गयी। प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त २८ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है (संलग्नक सं०–२) एवं उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है (संलग्नक सं०–३)।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :

१. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।

२. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।

३. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

४. मल तथा व्यवसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।

५. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।

६. मल तथा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

७. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

८. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय–समय पर सौंपे जायें।

६. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के अन्तर्गत समय–समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं आय व्ययक के प्राविधानों के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि :

नमूने एकत्रित किया जाना एवं उनका परीक्षण :

विभिन्न उद्योगों के उत्प्रवाह द्वारा हो रहे प्रदूषण की स्थिति एवं प्रकार ज्ञात करने तथा नदियों के जल की गुणता की जाँच करने के लिए नमूने एकत्र कर भौतिक, रसायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजकर उनकी जाँच करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ हेतु ६०७८ औद्योगिक नमूनों की जाँच के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, २०१८ तक ३४०८ नमूनों की जाँच की गयी तथा सतही जल के ११९३० नमूनों के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, २०१८ तक १०६८० नमूनों की जाँच की गयी।

बोर्ड द्वारा वातावरण में वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ, कानपुर, अनपारा (सोनभद्र), गजरौला (मुरादाबाद), वाराणसी, रायबरेली, मथुरा, उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, हापुड़ व नोएडा आदि नगरों में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ हेतु १६७४ औद्योगिक उत्सर्जन के लिए निर्धारित नमूनों के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, २०१८ तक ५३२ नमूनों की जाँच की गयी।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवम् अधिकारों का प्रतिनिधायन :

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का

निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। तदोपरान्त प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रतिनिधायन की प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ७७१८४/सीटी/सामान्य नोडल–३४७/२०१६, दिनाँक १८–०४–२०१६ के द्वारा प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, उक्तानुसार लाल श्रेणी में ६० प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में ८३ प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी में ६१ प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में १६२ प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी२५२६८/१८६/२०१६–१७, दिनाँक ०६–१०–२०१७ द्वारा लाल श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योगों को एक साथ ०५ वर्ष की अवधि हेतु, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ ०५ वर्ष की अवधि हेतु तथा हरी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ १० वर्ष की अवधि हेतु सहमति प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सफेद श्रेणी के उद्योगों द्वारा आवेदन की पावती ही सहमति मानी जाती है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १६७४ एवम् संशोधित अधिनियम, १६७८ तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १६८१ एवम् संशोधित अधिनियम, १६८७ के अन्तर्गत सरलीकृत प्रक्रिया में आई०टी० सेक्टर, सोलर पावर प्लान्ट एवम् ०५ मेगावाट तक की क्षमता के डी०जी०सेट को बोर्ड से नियमित सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवमुक्त किया गया।

सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १६७४ एवं संशोधित जल

अधिनियम, १९७८ के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाईयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहें हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में रूपया–२१३८.९२ लाख सहमति शुल्क (जल) के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, २०१८ तक रूपया–१००८.०९ लाख एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में दिसम्बर, २०१८ तक ५२९९ उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति (जल) प्रदान की गयी तथा ९४१ उद्योगों की सहमति औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत की गयी तथा उन्हें उचित निर्देश जारी किये गये, जिससे उद्योग अपने शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन/रख–रखाव तथा सुदृढ़ीकरण कर, उसे मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शुद्धीकृत करने योग्य बनायें।

जल उपकर :

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी०एस०टी० प्रभावी होने की तिथि (०१–०७–२०१७) से नये उद्योगों के उपकर को रिपील करके जी०एस०टी० में सम्मिलित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में दिसम्बर, २०१८ तक रूपया–१०९४.५८ लाख एकत्र किया गया।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में अप्रैल, २०१८ से दिसम्बर, २०१८ तक १२४७ उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये एवं ४९३ उद्योगों के आवेदन पत्र औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित लाल श्रेणी के ६० प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़ कर शेष समस्त प्रकार के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के अधिकार दिये गये हैं। आई०टी० सेक्टर एवं सौर ऊर्जा से सम्बन्धित परियोजनाएं एवं २२० श्रेणी के उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराये जाने के पश्चात् बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की बाध्यता से सशर्त मुक्त रखा गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस०ओ०(ई०) १५३३, दिनाँक १४–०९–२००६ के प्राविधानों के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित आठ प्रकार की परियोजनाओं हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिए जाने से पूर्व लोक सुनवाई कराये जाने का प्राविधान है।

उ०प्र० सरकार के पर्यावरण अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–३४०५ एवं ३४०६/५५–पर्या० २००८–२५६(पर्या०)–२००१, दिनाँक ०८–०६–२००८ द्वारा प्रस्तावित नई औद्योगिक परियोजनाओं हेतु स्थापनार्थ सहमति शुल्क निर्धारित किया गया है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही :

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १६८१ एवं यथासंशोधित अधिनियम, १६८७ के अन्तर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौंपा गया है।

वायुमण्डल को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों से (मानकों से अधिक) निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषक गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १६८१ एवं यथासंशोधित अधिनियम, १६८७ के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके द्वारा वायुमण्डल में मानकों के अनुरूप उत्सर्जन के लिए किसी नयी या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाये जाने के लिए या चिमनी से वायुमण्डल में उत्सर्जन को जारी रखने के लिए वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सहमति आवेदन पत्रों के साथ बोर्ड द्वारा वायु नियमावली, १६८३ में प्राविधानित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१६ में रूपया–२११०.१३ लाख सहमति शुल्क (वायु) के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, २०१८ तक रूपया–६५६.४२ लाख एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष २०१८–२०१६ में दिसम्बर, २०१८ तक ६१५५ उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति (वायु) प्रदान की गयी तथा ११६२ उद्योगों की सहमति औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत की गयी एवम् उनको उचित सुधार हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्ड्स वेस्ट) जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमापार संचालन नियम, २०१६ के अन्तर्गत २३६६ उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के सामूहिक निस्तारण हेतु प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों की स्थिति निम्नवत् हैः–

१.	कानपुर (रूमा)	–	क्षमता समाप्त
२.	कानपुर देहात (कुम्भी)		
	७ हेक्टेयर भूमि में	–	संचालित
३.	कानपुर देहात (कुम्भी)		
	३ हेक्टेयर भूमि में	–	संचालित
४.	उन्नाव (बन्थर)	–	संचालित

उक्त के अतिरिक्त ज्वलनशील/जलाने योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था हैः–

१.	उद्योग जिनमे स्वयं का भस्मन संयंत्र स्थापित है	२१
२.	संयुक्त भस्मन संयंत्र की व्यवस्था है	०३

कानपुर नगर में, ग्राम रूमा में चयनित स्थल पर सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट शुद्धीकरण व निस्तारण स्थल का चयन कर व्यवस्था कानपुर नगर निगम द्वारा स्थापित की गई। यहाँ पर जाजमऊ, कानपुर की टैनरियों तथा संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) का अपशिष्ट डाला जाता था परन्तु कानपुर, इलाहाबाद मार्ग पर ३६ एकड़ भूमि पर २०,००० घन मी० क्षमता का

रू० २.६६ करोड़ की लागत से बनाया गया भू–भरान स्थल भर गया है तथा इसकी कैपिंग कर दी गई है।

कानपुर देहात के स्थल (कुम्भी) का अधिग्रहण कर जिला प्रशासन द्वारा १० हे० भूमि राज्य बोर्ड को दी गई थी एवं इस पर सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट शुद्धीकरण व निस्तारण व्यवस्था बनाने हेतु बोर्ड द्वारा ७ हे० भूमि मै० यू०पी० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात को उपलब्ध करा दी गई थी, जिनके द्वारा सुरक्षित भू–भरान के इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अप्रैल, २००७ के अंतिम सप्ताह से संचालित है। अब तक दो सेल में परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित भण्डारण करके इसकी कैपिंग की जा चुकी है तथा तीसरे सेल में भू–भराव योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है। स्थल पर एक और इकाई बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कुल क्षमता लगभग ३.५ लाख मी० टन हो जायेगी। अब तक सदस्य इकाईयों से कुल २८४१६५ टन अपशिष्ट भण्डारित किया गया है। कुम्भी में ही शेष तीन हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त संयुक्त उपचार, भण्डारण, निस्तारण सुविधा (टी०एस०डी०एफ०)/सुरक्षित भू–भरान स्थल/भस्मन संयंत्र स्थापित कर संचालन हेतु एक अन्य संचालक मै० भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कानपुर देहात संचालित है। बोर्ड द्वारा दी गयी जमीन पर अब तक कुल ८४०५३ टन भू–भरान योग्य अपशिष्ट भण्डारित किया गया है। एक सेल पर परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित भण्डारण कर कैपिंग की जा चुकी है तथा दूसरे सेल में परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण का कार्य प्रगति पर है। इसी स्थल पर तीन और सेल बनाने के प्रस्ताव है, जिससे कुल क्षमता १.५ लाख मी० टन हो जायेगी।

उन्नाव (बन्थर) में यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा निर्मित चमड़ा तकनीकी पार्क के परिसर के अन्दर ही २.५ एकड़ जमीन में एक सेल का निर्माण किया गया है, जो कि कार्यरत है, जिसका संचालन मै० बन्थर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा

किया जाता है। इस पार्क के बाहर ही ३३ एकड़ जमीन में टैनरी इकाईयों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सुविधा निर्मित कर दिनाँक १४–१०–२००८ से संचालित कर दी गई है। बन्थर के संयुक्त उपचार, भण्डारण, निस्तारण सुविधा (टी०एस०डी०एफ०) में उन्नाव जिले में स्थित चमड़ा व अन्य उद्योगों के परिसंकटमय अपशिष्ट को ही निस्तारित किया जायेगा, इसके संचालक मै० इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्टेक्चर (इंडिया) लि०, उन्नाव हैं तथा अब तक ५८ उद्योग सदस्य बने हैं तथा कुल लगभग ७६१४५ टन अपशिष्ट भण्डारित किया गया है। उद्योग द्वारा संयुक्त उपचार, भण्डारण, निस्तारण सुविधा (टी०एस०डी०एफ०) की क्षमता ३.१ लाख मी० टन प्रस्तावित है।

वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा कोष (क्लीन इनर्जी फण्ड) योजना के अर्न्तगत केन्द्रीय बोर्ड द्वारा खानचन्दपुर/जुही बबूरिया एवं बाराबंकी स्थित अवैध निस्तारण स्थल को पुर्नसुधार करने की योजना की डी०पी०आर० केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शी मै० ई०आर०एम०, इण्डिया द्वारा तैयार की गई है। डी०पी०आर० के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा परियोजना की ४० प्रतिशत धनराशि दी जानी है तथा शेष धनराशि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है।

इसी प्रकार गाजियाबाद में लोहिया नगर कालोनी में भूगर्भ जल प्रदूषण को ठीक करने हेतु एक परियोजना कार्यरत है।

१७ श्रेणी (वृहद एवं मध्यम) के उद्योगों की कार्ययोजना :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना, १९९० में तैयार की गई थी, जिसमें निम्न १७ प्रकार के वृहद एवं मध्यम श्रेणी के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया था–

१. आसवनी

२. चीनी उद्योग

३. सीमेन्ट उद्योग

४. लुगदी एवं कागज

५. उर्वरक

६. चमड़ा उद्योग

७. कीटनाशक

८. एल्यूमिनियम स्मैल्टर

९. कापर स्मैल्टर

१०. जिंक स्मैल्टर

११. लोहा तथा स्टील

१२. डाइज एण्ड डाई इण्टरमीडिएट

१३. पेट्रो केमिकल्स

१४. रिफाइनरी

१५. थर्मल पावर प्लान्ट

१६. कास्टिक सोडा उद्योग

१७. औषधीय उद्योग

इन १७ श्रेणी के सभी उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने तथा बोर्ड के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आसवनी इकाईयों द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अन्तर्गत आर०ओ० प्लान्ट एवं मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर्स के उपरान्त बायो कम्पोस्टिंग अथवा इन्सीनरेशन ब्वायलर स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार

आसवनी इकाईयों से होने वाले जल प्रदूषण एवं रंगीन उत्प्रवाह के निस्तारण को नियंत्रित कर लिया गया है।

चीनी उद्योगों को भी शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में अथवा नियंत्रित मात्रा में शुद्धिकरण के पश्चात् निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

एग्रो वेस्ट पर आधारित कागज उद्योगों द्वारा सी०आर०पी० की स्थापना की गई है, जिससे ब्लैक लिकर का निस्तारण न हो।

कानपुर में टैनरी इकाईयों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है तथा स्थापित पी०ई०टी०पी० एवं सी०ई०टी०पी० का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या :

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में १५२८ ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी०ओ०डी० लोड १०० कि०ग्रा०/दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह हैं) को चिन्हित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली १३ प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते है। इन १५२८ उद्योगों की वर्तमान में जल प्रदूषण की दृष्टि से स्थिति निम्नवत् हैः–

१.	उ०प्र० में चिन्हित ग्रोसली उद्योग	१५२८
२.	कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है	१३६६
	(अ) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा बोर्ड के मानकों की पूर्ति भी कर रहे है	१०४२
	(ब) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु बोर्ड मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहे है	८३

३.	उद्योग जो स्वतः बन्द है	२४४
४.	उद्योग जिन्हे बोर्ड द्वारा बन्द कराया गया	२४२

मानकों की प्राप्ति न करने वाले उद्योगों की जल सहमति अस्वीकृत कर दी गई है एवं साथ ही उद्योग को पर्यावरणीय अधिनियमों के पालन करने के निर्देश दिये गये है। इन अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योगों की समीक्षा समय–समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी की जाती है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ :

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के अन्तर्गत प्रदेश में कुल १५,०४६ अस्पताल/नर्सिग होम तथा अन्य संस्थान चिन्हित किये गये है जिनमें से १४८४२ अस्पतालों/नर्सिग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध है। इनमें से ९५७३ अस्पतालों/नर्सिग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

प्रदेश में कुल १७ सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था स्थापित की गई है, यथा– जनपद लखनऊ–२, बरेली–१, गाजियाबाद–१, मेरठ–१, कानपुर–२, इलाहाबाद–२, मथुरा–१, आगरा–१, झाँसी–१, वाराणसी–१, बाराबंकी–१, संत कबीर नगर–१, सुल्तानपुर–१, तथा गाजीपुर–०१ में व्यवस्थायें स्थापित हैं। उक्त के अतिरिक्त १३ हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्वयं की उपचार व्यवस्था स्थापित हैं। १७ सामूहिक उपचार व्यवस्था में से ०१ सामूहिक उपचार व्यवस्था मानकों के अनुरूप कार्यरत न होने के कारण उसके विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्राविधानों के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है।

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार शुल्क

रूपया–६५.७६ लाख के लक्ष्य के विरूद्ध माह–दिसम्बर, २०१८ तक कुल रूपया–१११.४५ लाख एकत्रित किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, १६६६ एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, २००० को अधिसूचना दिनांक ०८.०४.२०१६ द्वारा अधिक्रांत करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें **''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६''** कहा गया है। यह नियम दिनांक ०८.०४.२०१६ से प्रवृत्त है। प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् हैं :–

१. स्थानीय निकायों से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १६८६ के प्राविधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ जो अधिसूचना दिनांक ०८.०४.२०१६ से प्रभावी हैं, का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों तथा अनुश्रवण, बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

२. बोर्ड द्वारा समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को उक्त नियम, २०१६ में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया गया है।

३. प्रदेश में वर्तमान में कुल ६५३ नगर निकाय (नगर निगम–१६, नगर पालिका परिषद–१६६, नगर पंचायत–४३८) चिन्हित हैं।

४. प्रदेश में जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा १५५०० टन/दिन है।

५. नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में वेस्ट से कम्पोस्ट बनाये जाने के १२ संयंत्र संचालित हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता ४६१५ टन/दिन है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही :

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के अर्न्तगत विभिन्न उद्योगों/स्थानीय निकायों के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है। बोर्ड द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल तथा वायु अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की स्थिति माह–दिसम्बर, २०१८ तक निम्नानुसार है :–

१. माननीय सर्वोच्च न्यायालय

१.	कुल दायर मुकदमें	–	१३६
२.	कुल निर्णित मुकदमें	–	९९
३.	लम्बित मुकदमें	–	३७

२. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

१.	कुल दायर मुकदमें	–	४६१
२.	कुल निर्णित मुकदमें	–	४००
३.	लम्बित मुकदमें	–	६१

३. माननीय उच्च न्यायालय

			लखनऊ	इलाहाबाद	कुल
१.	कुल दायर मुकदमें	–	१३१४	२४९४	३८०८
२.	कुल निर्णित मुकदमें	–	८८९	२०५८	२९४७
३.	लम्बित मुकदमें	–	४२५	४३६	८६१

४. <u>माननीय परीक्षण/विशेष न्यायालय</u>

१.	कुल दायर मुकदमें	–	५२२
२.	कुल निर्णित मुकदमें	–	२५६
३.	लम्बित मुकदमें	–	२६६

प्रयोगशाला एवं जल–वायु गुणता का अनुश्रवण :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ०१ केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा १६ क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं। ०२ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों उन्नाव एवं फिरोजाबाद में वायु प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

गोमती नदी का अनुश्रवण

गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा एवं पी०एच० का परीक्षण प्रतिदिन तथा १७ विभिन्न प्रचालकों के लिए परीक्षण प्रतिमाह एक बार नियमित रूप से किया जाता है, जिससे गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा जल की गुणता का ज्ञान होता रहे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम)

इस परियोजना (पूर्व नाम मीनार्स) के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं

अन्य जल स्रोतों (तालाब, झील आदि) के ६३ चिन्हित स्थलों पर (कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, रेनूकूट, गोरखपुर, देवरिया, ललितपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, बदायूँ, मिर्जापुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज, नोएडा, सीतापुर, फैजाबाद, मथुरा, सोनभद्र, जौनपुर, वृन्दावन, हमीरपुर, झाँसी व मुजफ्फरनगर) जल गुणता अनुश्रवण का कार्य एक माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ७० प्रतिशत वित्तपोषित है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम)

इस परियोजना (पूर्व नाम नाकम) के अन्तर्गत प्रदेश के २४ शहरों– गाजियाबाद, गजरौला, आगरा, नोएडा, (अनपरा) सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी, प्रयागराज, मेरठ, खुर्जा, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, मथुरा, हापुड़, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में ७२ चिन्हित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ५० प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, २००० एवं संशोधित २०१० प्रख्यापित किये गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि १४–०२–२००० से प्रवृत्त हो गये हैं।

१. पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख २० शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

२. स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के १२ शहरों–लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलन्दशहर, हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर में एक–एक स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे–पार्टीकुलेट मैटर (पी०एम०–१० एवं पी०एम०–२.५), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन् के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।

३. ध्वनि गुणता अनुश्रवण

बोर्ड द्वारा प्रदेश के १५ शहरों की विभिन्न श्रेणियों– आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

४. स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में १० स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी०आर०एम० आफिस हजरतगंज, एस०जी०पी०जी०आई०, आई०टी० कालेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित है। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

५. प्रदर्शन पटल

बोर्ड द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़ों को जनमानस में प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से लखनऊ शहर में ५ निम्न स्थलों पर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पटल स्थापित किये गये हैं :–

१. बोर्ड के नवनिर्मित मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर

२. पंजाब नेशनल बैंक, पिकप भवन के सामने, गोमती नगर

३. आई०आई०टी०आर०, महात्मा गांधी मार्ग

४. सहारा बिल्डिंग, कपूरथला चौराहा

५. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की स्थापना :

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना एवं संचार प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से बोर्ड कार्यालय के आधुनिकीकरण की एक विस्तृत योजना लागू की गयी है। वर्तमान व्यवस्था में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के विस्तारीकरण/उच्चीकरण के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय पर सभी अनुभागों के नियंत्रक अधिकारियों एवम् समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण (प्रिन्टर, स्कैनर इत्यादि) उपलब्ध कराये जा चुके हैं। साथ ही १५ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित प्रयोगशालाओं के नमूना अनुश्रवण हेतु भी कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। बोर्ड द्वारा उद्योगों से संबंधित सहमति/एन०ओ०सी० आवेदन पत्रों के त्वरित आनलाइन निस्तारण हेतु राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (एन०आई०सी०, नई दिल्ली) द्वारा विकसित आनलाइन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (ओ०सी०एम०एम०एस०) को बोर्ड की आवश्यकता के अनुरूप कस्टमॉइजेशन कराकर प्रयोग किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था को प्रदेश सरकार के सिंगल विण्डो पोर्टल ''निवेश मित्र'' से इण्टीग्रेट किया जा चुका है। बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्राप्त

होने वाले अनापत्ति, सहमति एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार विषयक आवेदन पत्रों का आनलाइन निस्तारण किया जा रहा है एवं उद्योगों को अनापत्ति, सहमति एवं प्राधिकार प्रमाण पत्र को पूर्णतया आनलाइन ही निर्गत किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्र में जन–सामान्य की समस्या/शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु ग्रेडेड रेसपॉन्स एक्शन प्लान (जी०आर०ए०पी०) का विरचन कर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड द्वारा जन–जागरूकता हेतु वेबसाइट : डब्लूडब्लूडब्लू. यूपीपीसीबी.कॉम इन्टरनेट पर होस्ट की गयी है, जिसमें बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारी दी जाती है। बोर्ड की ई–मेल : इनफो ऐट द रेट ऑफ यूपीपीसीबी.कॉम सेवा भी उपलब्ध है।

बोर्ड का आय–व्ययक :

वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में माह–दिसम्बर, २०१८ तक बोर्ड को कुल रूपया ३४६६.६५ लाख की आय हुई। बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत जल उपकर को दिनांक ०१–०७–२०१७ के उपरान्त रिपील कर जी०एस०टी० में सम्मिलित किये जाने का प्रभाव बोर्ड की आय पर पड़ा है। बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में माह–दिसम्बर, २०१८ तक कुल रूपया ५७४८.९९ लाख का व्यय किया गया (संलग्नक संख्या–४)। व्यय में बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण ७वें वेतनमान के लागू होने के कारण किये गये भुगतान है।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :

१– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १८.०३.२०१९ द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१९ अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक १८.०३.२०१९ से प्रभावी है।

२– अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१९ के प्राविधानों के अनुसार प्लास्टिक

अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए स्थानीय निकाय उत्तरदायी है।

३— अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१६ के प्राविधानों के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विर्निमाण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विहित प्राधिकारी है।

४— उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, २००० को उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं०—१० सन् २०१८ दिनांक १५.०७.२०१८ द्वारा संशोधित कर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित कूड़ा—कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, २००० के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०—१०५६/६—७—१८—२६ (लखनऊ)/१८ दिनांक १५.०७.२०१८ द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैंः—

(१) ५० माइक्रान से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(२) ५० माइक्रान अथवा उससे अधिक मोटाई के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या न हो एवं अंकित नही हो के उपयोग, विनिर्माण, क्रय—विक्रय, भण्डारण, परिवहन के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की

औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(३) प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक–१५ अगस्त, २०१८ से प्रतिषिद्ध किया गया है।

(४) समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक–०२ अक्टूबर, २०१८ से प्रतिषिद्ध किया गया है।

<u>प्रदेश के महानगरों की वायु गुणता में सुधार लाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रमुख कार्य</u> :

प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख श्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भवन निर्माण कार्यों से जनित होने वाली धूल, कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से जनित उत्सर्जन आदि हैं।

वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहनों में ईंधन के लिए स्वच्छ ईंधन सी०एन०जी० की आपूर्ति विभिन्न ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे–लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, फिरोजाबाद आदि में की जा रही है एवं वाहनों से जनित उत्सर्जन की जाँच सम्बन्धित विभागों द्वारा पी०यू०सी० प्रमाण पत्र के माध्यम से कराई जाती है।

औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में चिन्हित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है। इन इकाईयों के प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के नियमित जाँच कराते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन सुनिश्चित कराया

जाता है एवं गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण का कार्य कराया जाता है।

भवन निर्माण परियोजनाओं में निर्माण कार्य के दौरान जनित होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए इन परियोजनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि निर्माण क्षेत्र को कवर्ड अवस्था में रखा जाये, यथा आवश्यक जल छिड़काव किया जाये आदि।

प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निदान के लिए ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न एक्शन बिन्दु जैसे–निर्माण कार्यों का अनुश्रवण, ईंट–भट्ठों एवं हॉट मिक्स प्लान्ट का चिन्हिकरण, सार्वजनिक यातायात हेतु बस/मेट्रो आवृत्ति को बढ़ाया जाना, यांत्रिक सफाई, कच्चे रास्तों का चिन्हिकरण, डीजल जनरेटर सेट्स का चिन्हिकरण, तापीय विद्युत परियोजनाओं का अनुश्रवण आदि कार्य सम्मिलित किये गये हैं।

एनसीआर क्षेत्र में ईंधन के रूप में पेट कोक/फर्नेश ऑयल प्रयोग करने वाले १०८ उद्योग चिन्हित हैं, जिनके द्वारा पेट कोक/फर्नेश ऑयल का प्रयोग बन्द कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त समस्त ६५ उद्योगों द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पेट कोक/फर्नेश ऑयल का प्रयोग बन्द कर दिया गया है। उक्त के संबंध में पर्यावरण अनुभाग–१, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–२६४१/५५–पर्या–१/२०१७–२६२(पर्या)/२०१७, दिनांक ०८–११–२०१७ द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

उक्त के अतिरिक्त एन०सी०आर० क्षेत्र में चिन्हित ८४ हॉट मिक्स प्लान्ट में से वर्तमान में ७५ बन्द हैं तथा चिन्हित ५७ रेडीमिक्स प्लान्ट में से वर्तमान में २४ रेडीमिक्स प्लान्ट बन्द हैं।

एन०सी०आर० क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उ०प्र० के जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर में कूड़ा जलाये जाने, अवैध ईंधन जलाने, सड़कों की धूल, वाहनों से अधिक धुआं छोड़ने, निर्माण

एवं तोड़–फोड़ की गतिविधियों से उड़ने वाली धूल आदि से उत्पन्न वायु प्रदूषण की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा में दिनांक १३–०४–२०१७ को एक मैनुअल कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में जन सूचना प्रकाशित करवायी गई। कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा मोबाइल ऐप विकसित किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

एन०सी०आर० क्षेत्र में वर्तमान में २० मैनुअल एवं ०७ रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं तथा ०६ रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक १७–११–२०१७ के अनुपालन में बोर्ड द्वारा 'काम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फार रिड्यूसिंग एयर पाल्यूशन इन एनसीआर' तैयार किया गया है तथा उक्त की कार्यवाही का अनुश्रवण वेब पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीईसीपी.इन के माध्यम से संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से करायी जा रही है। विभागों से जिला स्तर पर उक्त कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने एवं उक्त की स्वतः मॉनीटरिंग करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारियों को दिया गया है।

जल एवं वायु की गुणता का अध्ययन :

(१) लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों पर ध्वनि के स्तर का अध्ययन/अनुश्रवण।

(२) लखनऊ शहर में गोमती नदी का अनुश्रवण।

(३) जन सामान्य को वायु गुणता आँकड़ों की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पटल की स्थापना।

(४) दीपावली पर्व पर प्रदेश के प्रमुख शहरों में ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण।

संलग्नक संख्या – १

(संदर्भ पृष्ठ संख्या – १)

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग–२

संख्या – २१७६/६–२–१००–७४

लखनऊ, दिनांक, १३ जुलाई, १६८२

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, १८६७ (अधिनियम संख्या १० सन्, १८६७) की धारा २१ के साथ पठित जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, १६७४ (अधिनियम संख्या ६ सन् १६७४) की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या ६६६/६–२–१००–७४, दिनांक ३० जनवरी, १६८० का आंशिक परिष्कार करके राज्यपाल ''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड'' का नाम बदलकर ''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' करते हैं।

आज्ञा से

आदित्य कुमार रस्तोगी

सचिव

संख्या – २१७६(१)/६–२–१००–७४ उपरोक्त दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

१. समस्त सदस्य, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. समस्त मण्डलायुक्त।
३. समस्त जिलाधिकारी।
४. आवास एवं नगर विकास शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

जे० एन० सक्सेना

अनुसचिव

संलग्नक संख्या – २
(संदर्भ पृष्ठ संख्या – १)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संगठन

- **अध्यक्ष**
  - सदस्य सचिव
    - मुख्य पर्यावरण अधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी / मुख्य विधि अधिकारी
      - पर्यावरण अभियन्ता / वैज्ञानिक अधिकारी / विधि अधिकारी
        - प्रशासन
        - लेखा
        - विधि
        - प्रयोगशाला
        - वृत्त–१
        - वृत्त–२
        - वृत्त–३
        - वृत्त–४
        - वृत्त–५
        - वृत्त–६
        - वृत्त–७
        - उपकर (वृत्त–१)
        - उपकर (वृत्त–२)
        - कम्प्यूटर

- क्षेत्रीय कार्यालय
  - क्षेत्रीय अधिकारी
    - लखनऊ
    - रायबरेली
    - गोरखपुर
    - गाजियाबाद
    - कानपुर
    - बस्ती
    - बाँदा
    - झाँसी
    - बरेली
    - प्रयागराज
    - नोएडा
      - ग्रेटर नोएडा
    - मुरादाबाद
    - मेरठ
    - मथुरा
    - आगरा
    - अलीगढ़
    - फैजाबाद
    - आजमगढ़
    - सहारनपुर
    - सोनभद्र
    - वाराणसी
    - फिरोजाबाद
    - बुलन्दशहर
    - कानपुर देहात
    - उन्नाव
    - मुजफ्फरनगर
    - बिजनौर

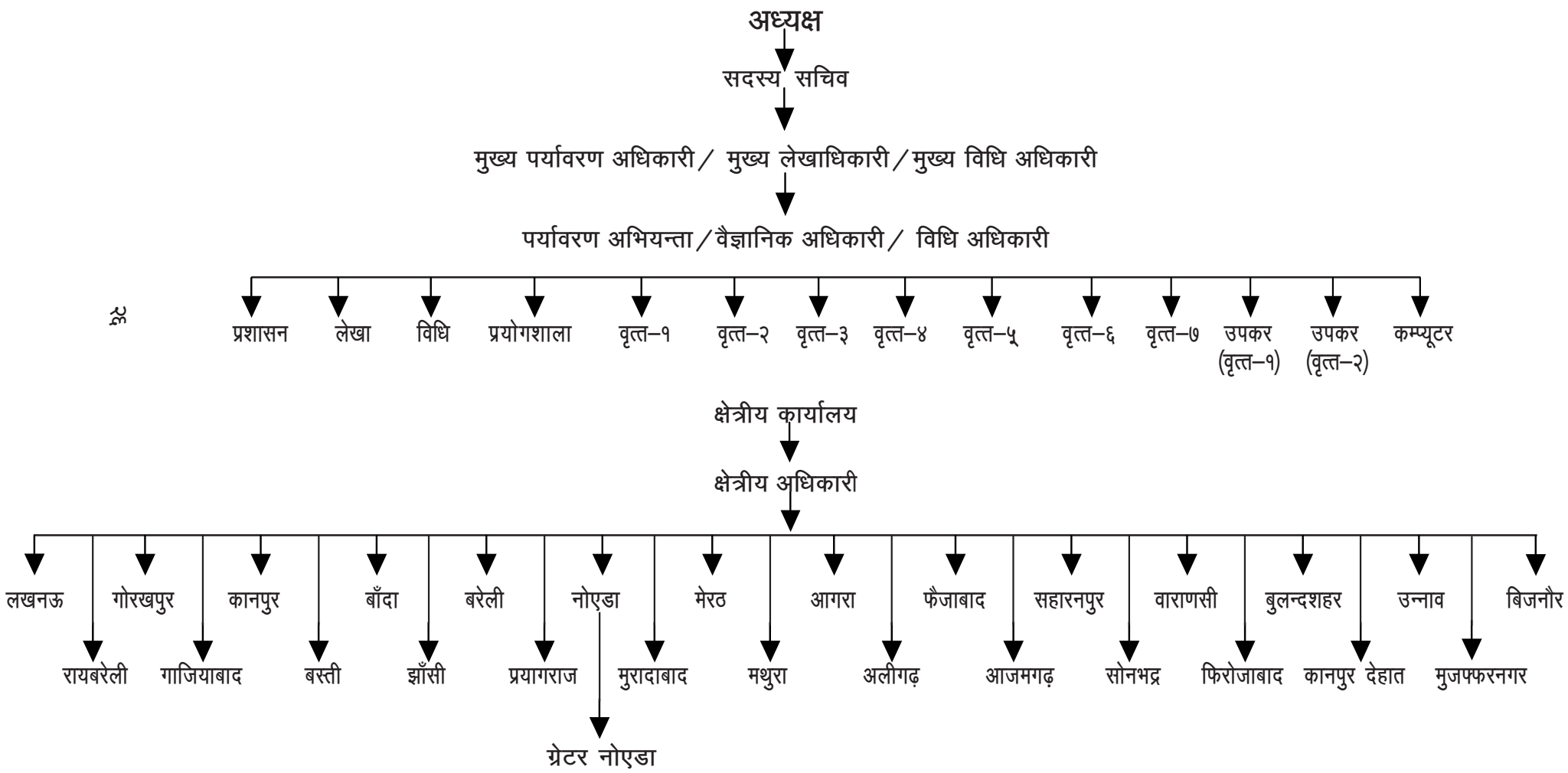

संलग्नक संख्या–३

(संदर्भ पृष्ठ संख्या–१)

मुख्यालय स्थित वृत्त एवम् क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्र विभाजन

क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्र विभाजन निम्नानुसार किया गया है –

वृत्त का नाम	वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जनपद
वृत्त–१	१. गाजियाबाद	गाजियाबाद, हापुड़
	२. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)	गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
	३. गौतम बुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा)	गौतम बुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा)
वृत्त–२	१. कानपुर	कानपुर, फर्रूखाबाद
	२. कानपुर देहात	कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया
	३. झाँसी	झाँसी, जालौन, ललितपुर
	४. बाँदा	बाँदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट
	५. प्रयागराज	प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी
	६. सोनभद्र	मिर्जापुर, सोनभद्र
वृत्त–३	१. मेरठ	मेरठ, बागपत
	२. सहारनपुर	सहारनपुर
	३. मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर, शामली
वृत्त–४	१. आगरा	आगरा
	२. मथुरा	मथुरा
	३. फिरोजाबाद	फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा

	४. अलीगढ़	अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस
	५. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर, बदायूँ
वृत्त–५	१. लखनऊ	लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी
	२. उन्नाव	उन्नाव, हरदोई
	३. रायबरेली	रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़
वृत्त–६	१. आजमगढ़	आजमगढ़, बलिया, मऊ
	२. गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर
	३. अयोध्या	अयोध्या, बहराइच, गोण्डा, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती
	४. बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर
	५. वाराणसी	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, भदोही
वृत्त–७	१. मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल
	२. बिजनौर	बिजनौर, अमरोहा
	३. बरेली	बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत

संलग्नक संख्या–४

(संदर्भ पृष्ठ संख्या–२०)

आय–व्ययक विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र०स०	विवरण			वर्ष २०१८–१९ का लक्ष्य	दिसम्बर, २०१८ तक की प्रगति
१.	सहमति शुल्क	– – –	जल वायु बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार शुल्क	२१३८.६२ २११०.१३ ६५.७९	१००८.०६ ६५९.४२ १११.४५
२.	जल उपकर (एकत्रण)	–		–	१०९४.५८
३.	कुल आय कुल व्यय	– –		१३३४३.५४ १०४८१.३८	३४६६.६५ ५७४८.९९

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की सूची

उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण अनुभाग

संख्या–३३३५/५५–६५–३/४ (प्रदू०)/८४, लखनऊ, दिनांक १० नवम्बर, १९९५ के अनुसार

१.	अध्यक्ष उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष
२.	विशेष सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
३.	विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
४.	विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
५.	निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
६.	निदेशक, * पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०	सदस्य
७.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
८.	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
९.	निदेशक, सूडा, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
१०.	सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव

---

*संख्या–२७५/५५–९६–३/४ (प्रदू०)/८४, दिनांक–२५ जनवरी, १९९६